198/4.00

संख्या–1658/X–2–2017–12(45)2009

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 09 अगस्त 2017

विषयः– मुख्य वन संरक्षक(कार्य योजना)/अपर प्रमुख वन संरक्ष क (शोध) एवं वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अवशेष सम्पूर्ण धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र संख्या–149/3–5(आवा0/अना0) दिनांक 14.07.2017 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या–2037/X–2–2015–12(45)2009 दिनांक 2.9.2015, शासनादेश सं0–2089/X–2–2016–12(45)2009 दि0 08.08.2016, शासनादेश सं0–148/X–2–2017–12(45)2009 दि0 19.01.2017 तथा शासनादेश सं0–625/X–2–2017–12(45)2009 दि0 28.03.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य वन संरक्षक (कार्ययोजना)/अपर प्रमुख वन संरक्षक (शोध) एवं वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के कार्यालय भवन के निर्माण के प्राक्कलन लागत ₹485.04 लाख, टी.ए.सी. से परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण लागत ₹436.61 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त ₹280.86 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹155.75 लाख (₹ एक करोड़ पचपन लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि तत्काल कार्यदायी संस्था निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति उपलब्ध होने पर तदनुसार अगली वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2009) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

7. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
8. कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नही दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने में का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा तथा परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. उक्त भवन निर्माण इकाई द्वारा शीघ्र पूर्ण कर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा शासन को भी सूचित किया जाय।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 मे स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4406–वानिकी और वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 01–वानिकी, 101–वन संरक्षण और विकास, 04–वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0–S1707270618 दिनांक 31.07.2017 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.17 के संदर्भ में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–1658/ X–2–2017–12(45)2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **1658/X-2-2017-12(45)2009**

अलोटमेंट आई डी - **S1707270618**

अनुदान संख्या - **027**

आवंटन पत्र दिनांक -31-Jul-2017

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण और विकास

04 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण

00 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0	15575000	15575000
25 - लघु निर्माण कार्य	667000	0	667000
29 - अनुरक्षण	1333000	0	1333000
	2000000	**15575000**	**17575000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 15575000